

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 130 / 2014

दर्ज दिनांक:-21.10.2014

1. रमेशचन्द पता— .....प्राथी

बनाम

2. यादवसिंह पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली रथभान पर पेश। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2018 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 यादवसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्राथमिक डिक्री तथा हाल राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में भिन्नता है।

वादी अथवा प्रतिवादी सं.1 के वारिसान द्वारा आदेश 0-22 R4.CPC की प्रार्थना पत्र पत्रावली पर पेश नहीं है। साथ ही हाल जमाबंदी में अंकित खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाने की प्रार्थना पत्र भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है।

अतः दावा वादी इसी स्टेज पर आदेश 09 नियम R5.CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

